भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1516
दिनांक 12.12. 2023/ 21 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

आई.पी.एस. अधिकारी का स्थानांतरण

†1516. श्री विजयकुमार उर्फ **विजय वसंत:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बहुत से राज्य अपने राज्य/सं.रा.क्षेत्र में कार्यरत आई.पी.एस. अधिकारी को बिना कोई कारण बताए उनकी कार्यअवधि पूर्ण होने पूर्व अपने-अपने राज्यों से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और उनके स्थानांतरण के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों में कटौती की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग) उपरोक्त विषय में प्रस्तुत है कि भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का विनियमन आईपीएस (कैडर) नियम, 1954 और आईपीएस कार्यकाल नीति, 2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत किया जाता है। इन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य सरकार आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कर सके।

गृह मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर रिक्तियों को भरने के लिए राज्यों/कैडरों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु आईपीएस अधिकारियों के नामांकन आमंत्रित करता है। राज्यों/कैडरों से आईपीएस अधिकारियों का नामांकन प्राप्त होने के बाद, अधिकारियों को पदों की रिक्ति और पदों की उपयुक्तता के अनुसार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है।

*****